हिन्दी पत्राचार : राजभाषा के विभिन्न प्रावधानों के सफल कार्यान्वयन के फलस्वरूप संस्थान में हिन्दी पत्राचार एवं टिप्पण लेखन में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। वर्ष 2018-19 के दौरान **'क'** एवं **'ख'** क्षेत्र में स्थित केन्द्र/राज्य सरकारों को शत-प्रतिशत हिन्दी में पत्राचार किए गए जबकि **'ग'** क्षेत्र में स्थित कार्यालयों को 80 प्रतिशत पत्र हिन्दी में भेजे गये। राजभाषा अधिनियम की धारा-3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी दस्तावेज द्विभाषी/हिन्दी में जारी किए जाते हैं। संस्थान में 90 प्रतिशत से अधिक टिप्पणियाँ मूल रूप से हिन्दी में लिखी जा रही हैं।